



ऑन लाईन नं. RCMS2020/00007

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : डा. गुंजन सोनी, आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन आवेदन सं० 02/2020

श्री हरिराम वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

2. श्री भागीरथ पुत्र श्री भंवरलाल सैनी -नमूना विक्रेता एवं मालिक-
मै० बालाजी प्रोडक्ट, रामदेव मन्दिर के पीछे, वार्ड नम्बर 17, जैतसर तहसील श्रीविजयनगर -जिला श्रीगंगानगर।
निवासी :- रामदेव मन्दिर के पीछे, वार्ड नम्बर 17, जैतसर, तहसील श्रीविजयनगर, जिला श्रीगंगानगर।

अभियुक्त

अपराध अ० धारा 26 उपधारा (2)(2)/51/52 खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011

निर्णय

दिनांक : 09.11.2020

सक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री हरिराम वर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, दिनांक 17.05.2017 को कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे हैं। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक(जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर द्वारा दिनांक 17.05.2017 से वर्तमान कार्यक्षेत्र के अतिरिक्त जिला श्रीगंगानगर कार्यक्षेत्र अग्रिम आदेशों तक आवंटित किया है।

श्री हरिराम वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 15.02.2019 को दोपहर बाद 1.00 बजे श्री राकेश सचदेवा, लेब तकनीशियन कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर के साथ वास्ते चैकिंग मैसर्स बालाजी प्रोडक्ट, रामदेव मन्दिर के पीछे, वार्ड नम्बर 17, जैतसर तहसील श्रीविजयनगर -जिला श्रीगंगानगर पर पहुंचे। वहां पर श्री भागीरथ पुत्र श्री भंवरलाल सैनी, रामदेव मन्दिर के पीछे, वार्ड नम्बर 17, जैतसर तहसील श्रीविजयनगर, जिला श्रीगंगानगर उपस्थित मिला। उपस्थित को मैंने अपना परिचय देकर उक्त दुकान निरीक्षण किया तो मौके पर एक अलमारी में Cooking Oil (Gitanjalia) (Refined Soyabean Oil) के 15 सीलड प्लास्टिक बोतलें, प्रत्येक बोतल में 4.35 ग्राम Cooking Oil (Gitanjalia) (Refined Soyabean Oil) आम जनता को विक्रय हेतु रखा पाया गया। मिलावट का शक होने पर इनमें से 4 सीलड प्लास्टिक बोतले प्रत्येक बोतल में 4.35 ग्राम Cooking Oil (Gitanjalia) (Refined Soyabean Oil) नमूना जॉच K-948 के नमूनीकरण के लिये खरीदा जिसकी कीमत 140/-रु० (अखरे रूपये एक सौ चालीस मात्र) का नगद भुगतान देकर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर हैं तथा



amp
अति. जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर



ऑन लाईन नं. RCMS2020/00007

उपस्थित गवाहान श्री राकेश सचदेवा एवं श्री तुलसी राम के हस्ताक्षर है एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री हरिराम वर्मा ने भी हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म संख्या 5ए तैयार किया, खाद्य कारोबारकर्ता भागीरथ पुत्र श्री भंवरलाल सैनी एवं गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म नं 05 की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता को देकर रसीद प्राप्त की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीद शुदा **Cooking Oil (Gitanjalia) (Refined Soyabean Oil)** के चार सील्ड प्लास्टिक के बोटलों पर लेबल चिपकाये एवं उन पर खाद्य नमूना कोड व अनुक्रमांक के-948 एवं अन्य विवरण दर्ज किया और लेबलो पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाये तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। प्रत्येक पाउच को अलग-अलग खाकी कागज में लपेटकर और कागज के सिरो को सफाई से मोड़कर गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप **K-948** को नियमानुसार नीचे से ऊपर गोंद से चिपकाया, प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार 4-4 जगह मोड़कर सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाएं एवं स्वयं ने हस्ताक्षर किये, चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिसे खाद्य विक्रेता ने पढकर, समझकर हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

फूड एनालिस्ट राजस्थान जयपुर द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक:-एलएस/393/एक्ट/2019/344 दिनांक 01.03.2019 नमूना **K-948 Cooking Oil (Gitanjalia) (Refined Soyabean Oil)** अमानक स्तर **SUBSTANDARD AND MISBRANDED** होना पाया गया है। इस पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त भागीरथ पुत्र भंवरलाल सैनी, रामदेव मन्दिर के पीछे, वार्ड नम्बर 17, जैतसर, तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर **Cooking Oil (Gitanjalia) (Refined Soyabean Oil) 26(2)(2)/51/52** के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 05.02.2020 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कहा है कि यह कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी (FSO) द्वारा नमूना सं. K-948 लेते समय फार्म नं. 5 ए में B.Lot No. व Date of Packing लिखी गई है, एवम् Best Before को (इन स्माल) का विवरण फार्म नं 0 5 ए में दिया गया एवम् निर्माता का नाम लिखा गया है। जबकि फर्द रिपोर्ट में उक्त विवरण नहीं दिया गया है। यह कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी (FSO) द्वारा नमूना सं. K-948 लेते समय फर्द रिपोर्ट



mup
अति.जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर



पर ब्रास सिल नं. 3 लगाई गई है जबकि आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेज पृष्ठ सं. 18 में उक्त ब्रास सिल नं. 3 आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक जयपुर द्वारा कार्यक्षेत्र जिला हनुमानगढ हेतु आवंटित की गई है। इससे स्पष्ट है कि उपरोक्त सम्बन्धित वाद में भी FSO द्वारा नमूनीकरण का कार्य सही ढंग FSSA से के नियमानुसार नहीं किया गया है। उक्त न्याय निर्णयन आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेज पर गोल मोहर सीन अभिहित अधिकारी एवं चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी हनुमानगढ की मोहर लगाई गई है उसके साथ ही एक अन्य गोल सीन मोहर अभिहित अधिकारी एवं चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर की भी लगाई गई है। उक्त दस्तावेज अभिहित अधिकारी एवं चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर के अधीन कार्यक्षेत्र श्रीगंगानगर के कार्यालय से किस प्रकार व किस कारण से किस अधिकारी की अनुमति से अभिहित अधिकारी एवं चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी हनुमानगढ के पास पहुँचे जिससे अभिहित अधिकारी एवं चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी हनुमानगढ ने उक्त पत्रावली को किस विधि के अनुसार कार्यक्षेत्र से बाहर होने पर भी सीन कर अपनी गोल मोहर लगाई है। पृथम दृष्टया ही आवेदन पत्र खारिज किये जाने योग्य है। जन विश्लेषक द्वारा अपनी रिपोर्ट में Contravene Regulation 2.2.1(7), 2.2.2(6), 2.2.2.(9), and 2.2.2(10) of FSS (Packaging and Labelling) Regulation 2011 के अन्तर्गत दिया गया है। यह कि जन विश्लेषक द्वारा अपनी रिपोर्ट संख्या L.S/393/Act/2019/344 दिनांक 01.03.2019 में Best Before 9 Month from the date of Packaging (Given in small latter) लिखा है एवम् निर्माण व पैकिंग की दिनांक, निर्माता का नाम व पता पूर्ण नहीं तथा FSSAI License No. Not Given लिखा है। जबकि खाद्य सुरक्षा अधिकारी (FSO) द्वारा नमूनीकरण के दौरान जो नमूना (पैकिंग सहित) सं. K-948 जन विश्लेषक को जांच हेतु भेजा गया था उस की फार्म सं. ए फर्द रिपोर्ट, व फार्म सं. 6 मेमोरेण्डम में कही भी उक्त के साथ निर्माता का नाम व पता तथा FSSAI License नहीं लिखा है। उक्त जांच रिपोर्ट में खाद्य विश्लेषक द्वारा FSS Regulation No. 2.2.1.14 के अन्तर्गत जांच कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें ऐसिड वेल्यू 2.46 अंकित की गई है जबकि FSS Regulation No. 2.2.1.14 के अन्तर्गत अम्ल तत्व 2.50 से अधिक नहीं होना निर्धारित किया गया है जबकि उक्त जांच रिपोर्ट में ऐसिड वेल्यू नोट मारदेन 0.50 बताया गया है। उक्त आधार पर पता चलता है कि खाद्य विश्लेषक द्वारा नमूना की जांच विधिनुसार नहीं की गई है। उक्त आवेदन पत्र मिन जबावदाता के विरुद्ध जांच रिपोर्ट होने के कारण विधि विरुद्ध पेश किया गया है जो प्रथम दृष्टया की पोषणीय नहीं होने के कारण निरस्तणीय है। Section 2.1.3 Food Safety Officer (FSO) के 4 (G) में लिखा है कि To recomandend Do to issue the improvement Notice to the FBO when ever necessary. इस नियम की भी FSO द्वारा पालना नहीं की गई है। चूँकि केन्द्र सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 जिसमें कि स्पष्ट है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी व अभिहित अधिकारी द्वारा मानक नियमों के अनुसार होते हुए भी माननीय न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया जो कि नियम विरुद्ध है। FSS Act 2006 के Section 32 की पालना भी नहीं की गई है जिसके अन्तर्गत सूचना का अधिकार द्वारा भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा दिनांक 17.03. 2017 के द्वारा सूचना में Best Before लिखा होने पर क्या मिस ब्रान्ड की परिभाषा में



amp
अति.जिला कलक्टर (खासतः)
श्रीगंगानगर



आएगा के जवाब में स्पष्ट लिखा है कि "नहीं" आयेगा। FSS Authority द्वारा अपने पत्र दिनांक 19.01.16 में Section 32 FSS Act के बारे में स्पष्ट लिखा गया है जिसकी पालना अभिहित अधिकारी व खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य कारोबारकर्त्ता के पक्ष में नहीं की गई है जिसका लाभ खाद्य कारोबारकर्त्ता को नहीं दिया गया है। यह कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी को गवाही के उद्देश्य से माननीय न्यायालय में उपस्थित होकर गवाही देने व जिरह हेतु उपस्थित होने के आदेश फरमाये जावे जो कि न्यायहित के लिए आवश्यक है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर के आदेश दिनांक 19.02.2015 FAC 255, 2017(1) में माननीय उच्च न्यायालय में न्यायनिर्णय अधिकारी द्वारा लगाई गई शास्ति को क्वेस किया गया है जिसकी प्रति संलग्न दस्तावेज है। माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण बैअनवानी सरकार बनाम कुलदीप आवेदन सं. 24/2017 के पारित अपने निर्णय दिनांक 28.06.2019 में आवेदन पत्र विरुद्ध एफ बी ओ खारिज किया गया है। प्रस्तुत परिवाद गलत तथ्यों के आधार पर विधि विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है जो कि चलने योग्य नहीं होने के कारण प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है। खाद्य विश्लेषक द्वारा नमूना की जांच विधिनुसार नहीं की गई है उक्त नमूना किसी भी प्रकार से अमानक नहीं माना जा सकता है। अतः उक्त परिवाद में अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 32 की पालना नहीं की गई है एवं उक्त वाद प्रस्तुत करने से पूर्व अभिहित अधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट व पत्रावली का अवलोकन नहीं किया गया है जिसकी शास्ति/जुर्माना खाद्य सुरक्षा अधिकारी पर विधिनुसार अधिरोपित कि जाकर वाद सब्यय निरस्त फरमाये जाने के आदेश पारित करने की कृपा करें। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि FSSA के तहत खाद्य नमूना संख्या K-948 में किसी भी प्रकार से कोई अवहेलना नहीं की गई है जांच रिपोर्ट के अनुसार धारा-3 (1)(Zf)(c)(i) के अनुसार खाद्य पदार्थ मानव स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित नहीं है जिससे किसी को कोई भी असुरक्षा नहीं होती है। अतः वाद न्यायहित में निरस्त किये जाने योग्य है।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **Cooking Oil (Gitanjalia) (Refined Soyabean Oil)** का सैम्पल के-948 जांच रिपोर्ट क्रमांक:-एलएस/393/एक्ट/2019/344 दिनांक 01.03.2019 द्वारा **SUBSTANDARD AND MISBRANDED** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की उप धारा 26(2)(2)/51/52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध साबित होता है। जिसमें अधिकतम 5,00,000 रुपये की शास्ति का प्रावधान है।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस में कथन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी (FSO) द्वारा नमूना सं. K-948 लेते समय फार्म नं. 5 ए में B.Lot No. व Date of Packing लिखी गई है, एवम् Best Before को (इन स्माल) का विवरण फार्म नं0 5 ए में दिया गया एवम् निर्माता का नाम लिखा गया है। जबकि फर्द रिपोर्ट में उक्त विवरण नहीं दिया गया है।



amp
अति.जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर



यह कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी (FSO) द्वारा नमूना सं. K-948 लेते समय फर्द रिपोर्ट पर ब्रास सिल नं. 3 लगाई गई है जबकि आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेज पृष्ठ सं. 18 में उक्त ब्रास सिल नं. 3 आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक जयपुर द्वारा कार्यक्षेत्र जिला हनुमानगढ़ हेतु आवंटित की गई है। इससे स्पष्ट है कि उपरोक्त सम्बन्धित वाद में भी FSO द्वारा नमूनीकरण का कार्य सही ढंग FSSA से के नियमानुसार नहीं किया गया है। प्रथम दृष्टया ही आवेदन पत्र खारिज किये जाने योग्य है। उक्त जांच रिपोर्ट में खाद्य विश्लेषक द्वारा FSS Regulation No. 2.2.1.14 के अन्तर्गत जांच कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें एसिड वेल्यू 2.46 अंकित की गई है जबकि FSS Regulation No. 2.2.1.14 के अन्तर्गत अम्ल तत्व 2.50 से अधिक नहीं होना निर्धारित किया गया है। जबकि उक्त जांच रिपोर्ट में एसिड वेल्यू नाट मारदेन 0.50 बताया गया है। उक्त आधार पर पता चलता है कि खाद्य विश्लेषक द्वारा नमूना की जांच विधिनुसार नहीं की गई है। उक्त आवेदन पत्र मिन जबावदाता के विरुद्ध जांच रिपोर्ट होने के कारण विधि विरुद्ध पेश किया गया है जो प्रथम दृष्टया की पोषणीय नहीं होने के कारण निरस्तणीय है। FSS Act 2006 के Section 32 की पालना भी नहीं की गई है जिसके अन्तर्गत सूचना का अधिकार द्वारा भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा दिनांक 17.03.2017 के द्वारा सूचना में Best Before लिखा होने पर क्या मिस ब्रान्ड की परिभाषा में आएगा के जवाब में स्पष्ट लिखा है कि "नहीं" आयेगा। FSS Authority द्वारा अपने पत्र दिनांक 19.01.16 में Section 32 FSS Act के बारे में स्पष्ट लिखा गया है जिसकी पालना अभिहित अधिकारी व खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य कारोबारकर्त्ता के पक्ष में नहीं की गई है जिसका लाभ खाद्य कारोबारकर्त्ता को नहीं दिया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर के आदेश दिनांक 19.02.2015 FAC 255, 2017(1) में माननीय उच्च न्यायालय में न्यायनिर्णय अधिकारी द्वारा लगाई गई शास्ति को क्वेस किया गया है जिसकी प्रति संलग्न दस्तावेज है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि FSSA के तहत खाद्य नमूना संख्या K-948 में किसी भी प्रकार से कोई अवहेलना नहीं की गई है जांच रिपोर्ट के अनुसार धारा-3 (1)(Zf)(c)(i) के अनुसार खाद्य पदार्थ मानव स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित नहीं है जिससे किसी को कोई भी असुरक्षा नहीं होती है। अतः वाद न्यायहित में निरस्त किये जाने योग्य है। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा निम्न नजीरे पेश की है :-

- 1- FOOD SAFETY AND STANDARDS ACT, 2006
- 2- न्यायाधिक निर्णय प्रकरण संख्या 24/2017 निर्णय दिनांक 28.06.2019

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अधिवक्ता अप्रार्थी का यह कथन कि नमूना सं. K-948 लेते समय फर्द रिपोर्ट पर ब्रास सिल नं. 3 लगाई गई है जबकि आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेज पृष्ठ सं. 18 में उक्त ब्रास सिल नं. 3 आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक जयपुर द्वारा कार्यक्षेत्र जिला हनुमानगढ़ हेतु आवंटित है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पास कार्यक्षेत्र हनुमानगढ़ के साथ-साथ अतिरिक्त चार्ज जिला श्रीगंगानगर का भी है जो पत्रावली में संलग्न

amp
अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर



अतिरिक्त कार्यक्षेत्र के आदेश से भी स्पष्ट होता है ब्रास सील लगाते समय सहवन से मूल कार्यक्षेत्र की भी लग सकती है। जिसे खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा सही कर ब्रास सिल कार्यक्षेत्र हनुमानगढ़ की लगा दी गई है।

अधिवक्ता अप्रार्थी का यह कथन कि उक्त जांच रिपोर्ट में खाद्य विश्लेषक ने FSS Regulation No. 2.2.1.14 के अन्तर्गत जांच कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें ऐसिड वेल्यू 2.46 अंकित की गई है जबकि FSS Regulation No. 2.2.1.14 के अन्तर्गत अम्ल तत्व 2.50 से अधिक नहीं होना निर्धारित किया गया है। फूड एनालिस्ट द्वारा यह नमूना जांच FSSAI फूड विधी से की गई है। प्रत्येक जांच विधी में प्राप्त निष्कर्षों के मापदण्ड अलग-अलग होते हैं। फूड एनालिस्ट राजस्थान जयपुर की रिपोर्ट में **Cooking Oil (Gitanjalia) (Refined Soyabean Oil)** में ऐसिड वेल्यू का मापदण्ड नोट मोरदेन 0.50 होता है उसी के अनुसार रिपोर्ट प्रेषित की गई है। इसलिए अधिवक्ता अप्रार्थी का यह कथन स्वीकार योग्य नहीं है।

अधिवक्ता अप्रार्थी का यह कथन कि सूचना का अधिकार द्वारा भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा दिनांक 17.03.2017 के द्वारा सूचना में Best Before लिखा होने पर क्या मिस ब्रान्ड की परिभाषा में आएगा के जवाब में स्पष्ट लिखा है कि "नहीं" आयेगा। FSS Authority द्वारा अपने पत्र दिनांक 19.01.16 में Section 32 FSS Act के बारे में स्पष्ट लिखा गया है जिसकी पालना अभिहित अधिकारी व खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य कारोबारकर्त्ता के पक्ष में नहीं की गई है जिसका लाभ खाद्य कारोबारकर्त्ता को नहीं दिया गया है जबकि Section 32 FSS Act के सैम्पल लेने से पूर्व सुधार हेतु दिया जाता है सैम्पल लेने के पश्चात मिस ब्रान्ड पाये जाने पर यह प्रावधान लागू नहीं होते हैं कि सुधार हेतु लिखा जावे। सुधार हेतु लिखा जाने के बाद मिसब्रान्ड पाया जाता है तो लाईसेंस निरस्त की कार्यवाही की जाती है। इसके अतिरिक्त धारा 32 के तहत की जाने वाली कार्यवाही कानूनन अनिवार्य (Mandatory) नहीं है। अतः अधिवक्ता अप्रार्थी का यह कथन भी स्वीकार योग्य नहीं है।


पत्रावली एवं Food Analyst की दिनांक 01.03.2019 की रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया। अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(2)/51/52 का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएसए 2006 की धारा 51 एवं 52 में वर्णित है। उपलब्ध कागजात के अवलोकन के पश्चात **Cooking Oil (Gitanjalia) (Refined Soyabean Oil)** विक्रेता एफएसएसए-2006 की धारा 31(2) की श्रेणी में आता है। अभियुक्त भागीरथ पुत्र श्री भंवरलाल सैनी, नमूना विक्रेता एवं मालिक -पर **SUBSTANDARD AND MISBRANDED** के तहत **Cooking Oil (Gitanjalia) (Refined Soyabean Oil)** का विक्रय करने पर धारा 26(2)(2) 51/52 के तहत 4,00,000/-रूपये (अखरे रूपये चार लाख मात्र) एवं धारा 31(2) के तहत 3,00,000 (अखरे रूपये तीन लाख मात्र) कुल शास्ति 7,00,000/- (अखरे रूपये सात लाख मात्र) अधिरोपित की जाती है। साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में जब्त **Cooking Oil (Gitanjalia) (Refined Soyabean Oil)** का विधिक प्रावधानानुसार व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत चेतावनी देते हुए नियमानुसार निस्तारण करें।


अति. जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर



अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में **Cooking Oil (Gitanjalia)** (**Refined Soyabean Oil**) के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 09.11.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(डा. गुंजन सोनी)
न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)
श्रीगंगानगर।